

**Jharkhand State Pollution Control Board**  
**Government of Jharkhand**



**DIPP Point No. 95**

Question	Remarks
5a. Environmental Registration Enablers  <b>Q:</b> Issue Consent to Operate licences that are valid for a minimum period of 5 years or more	CTO is granted for 5 years for Red Industries, 10 years for Orange and 15 years for green category of industries
URL: <a href="http://www.jspcb.org/pdf/1971.pdf">http://www.jspcb.org/pdf/1971.pdf</a>	



**झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद**

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची  
दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फ़ैक्स : 0651-2400850

अधिसूचना सं०-B-06

राँची, दिनांक- 15/6/15

अधिसूचना

पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या बी-15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red Orange एवं Green Category के इकाइयों को पर्षद द्वारा 05, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निम्नवत निर्गत किए जाएंगे :-

- 1) Red Category of Industry :- सभी Red Category के इकाइयों को पाँच वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किए जाएंगे । इन इकाइयों का निरीक्षण सामान्यतया 02 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।
- 2) Orange Category of Industry :- सभी Orange Category के इकाइयों को दस वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किए जाएंगे ।

Consent for 5 years for  
Red Category Industries

- a) Orange Category में low risk इकाइयों को सहमति आदेश Self Certification के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।

Consent for 10 years for  
Orange Category

- b) Orange Category में High risk इकाइयों को सहमति आदेश (Consent to Operate) third party Inspection के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 3 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।

**Jharkhand State Pollution Control Board  
Government of Jharkhand**



- 3) Green Category of Industry :- सभी Green Category की इकाईयों को पर्यट द्वारा Self Certification के आधार पर 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किया जाएगा तथा इन इकाईयों का निरीक्षण पर्यट द्वारा पूरी सहमति की अवधि में सामान्यताया एक बार किया जाएगा ।

Consent for 15 years for  
Green Category  
Industries

निरीक्षण के आधार पर शर्तों के उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में सहमति पत्र की वैधता समाप्त की जा सकेगी ।

हो/-  
(संजय कुमार सुगन)  
सदस्य सचिव

ज्ञापक \_\_\_\_\_ राँची, दिनांक \_\_\_\_\_  
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार राँची / सचिव उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची / सचिव खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची / निदेशक उद्योग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

हो/-  
(संजय कुमार सुगन)  
सदस्य सचिव

ज्ञापक B-1968 राँची, दिनांक 15/6/15  
प्रतिलिपि :- सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/पर्यट विश्लेषक/ सभी पदाधिकारियों, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्यट/पर्यट सूचना पट्ट/ पर्यट website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित  
(संजय कुमार सुगन)  
सदस्य सचिव

# **SUPPORTING DOCUMENT**



# झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची

दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फ़ैक्स : 0651--2400850

अधि0 सं0:- B-06

राँची, दिनांक:- 15/6/15

## अधिसूचना

पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या बी-15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red Orange एवं Green Category के इकाइयों को पर्षद द्वारा 05, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निम्नवत निर्गत किए जाएंगे :-

- 1) Red Category of Industry :- सभी Red Category के इकाइयों को पाँच वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किए जाएंगे । इन इकाइयों का निरीक्षण सामान्यतया 02 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।
- 2) Orange Category of Industry :- सभी Orange Category के इकाइयों को दस वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किए जाएंगे ।
  - a) Orange Category में low risk इकाइयों को सहमति आदेश Self Certification के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।
  - b) Orange Category में High risk इकाइयों को सहमति आदेश (Consent to Operate) third party Inspection के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 3 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।

- 3) Green Category of Industry :- सभी Green Category की इकाईयों को पर्षद द्वारा Self Certification के आधार पर 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किया जाएगा तथा इन इकाईयों का निरीक्षण पर्षद द्वारा पूरी सहमति की अवधि में सामान्यतया एक बार किया जाएगा ।

निरीक्षण के आधार पर शर्तों के उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में सहमति पत्र की वैधता समाप्त की जा सकेगी ।

ह0/-  
(संजय कुमार शुभन)  
सदस्य सचिव

ज्ञापांक .....

राँची, दिनांक .....

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार राँची/ सचिव उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/सचिव खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/निदेशक उद्योग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-  
(संजय कुमार शुभन)  
सदस्य सचिव

ज्ञापांक B-1968

राँची, दिनांक 15/6/15

प्रतिलिपि :- सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/पर्षद विश्लेषक/ सभी पदाधिकारियों, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद/पर्षद सूचना पट्ट/ पर्षद website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(संजय कुमार शुभन)  
सदस्य सचिव